रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एन)—73 REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, शनिवार, मई 4, 1985 (वैशाख 14, 1907)
No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 4, 1985 (VAISAKHA 14, 1907)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	403
भाग I—खण्ड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	567
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	597
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपलब्धियां आदि भी शामिल हैं)	1145
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	2237
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए सांविधिक नियम और आदेश	159
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	15293
भाग III—खंड 2—पैटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	401
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनायआदेश, विज्ञापन, और नोटिस शामिल हैं	1023
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों का विज्ञापन और नोटिस	7
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	403
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	557
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notification regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	597
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, by-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	1145
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	2237
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	159
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	15293
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	401
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1023
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	71
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and the Supreme Court]

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च, 1985

संकल्प

सं० एम०-13043/5/83-आर० डी० (पु० एल०) सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए बड़े पैमाने पर स्वरोजगार और वेतन रोजगार के अवसर सृजित करके बेरोजगारी और गरीबी कम करने के लिए और कृषि, उद्योगों और सेवाओं के विकास के लिए अनेक क्षेत्रीय और विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित करती रही है। यह महसूस किया गया है कि सामान्य क्षेत्रीय योजनाओं और लक्षित परिवार समूहों के लिए विशेष रूप से बनाई गई अन्य योजनाओं द्वारा अनेक कार्यक्रमों को आरंभ करने से बहुत से संगठन बन गए हैं जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों का इष्टतम उपयोग नहीं हो सका है और प्रबंधकीय व्यवस्था की द्विरावृत्ति हुई है।

संवृद्धि और गरीबी दूर करने के लिए एकीकृत संकल्पना के रूप में ग्रामीण विकास कार्यक्रम उन प्रधान क्षेत्रों में एक क्षेत्र बना रहेगा जिन पर सातवीं योजना में बल दिया गया है। समन्वित नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक होगा कि जिला स्तर पर बेहतर योजना बने, संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सुव्यवस्थित संगठनात्मक व्यवस्था की जाए और इन पर कड़ी निगाह रखी जाए और योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिले जिनके लिए योजनाएं बनाई गई हैं।

इसलिए योजना आयोग ने ग्रामीण विकास और गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों को वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी समन्वित योजना बनाई जाए और उसे प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाए एक उपयुक्त संगठनात्मक ढांचे की सिफारिश करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय किया है। इस समिति का गठन और इसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

गठन

अध्यक्ष

डा० जी० वी० के० राव,
भूतपूर्व सदस्य,
योजना आयोग,
252, 15वां मेन रोड,
राजमहल विलास एक्सटेंशन,
बंगलौर-560080 (कर्नाटक)

सदस्य

1. डा० पी० सी० जोशी,
प्रोफेसर,
आर्थिक संवृद्धि संस्थान,
नई दिल्ली-110007.

2. डा० बी० डी० शर्मा,
कुलपति,
नार्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी,
शिलांग (मेघालय)।

3. प्रोफेसर जी० राम रेड्डी,
कुलपति,
आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी,
6-3-645, सोमाजीगुडा,
हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)।

4. डा० असीम दासगुप्त,
सदस्य,
राज्य योजना बोर्ड,
पश्चिम बंगाल, कलकत्ता,
पश्चिम बंगाल.

5. श्री अनिल सी० शाह,
मुख्य कार्यपालक,
आगा खान ग्रामीण सहायता कार्यक्रम (भारत),
अहमदाबाद (गुजरात)।

6. सलाहकार,
ग्रामीण विकास,
योजना आयोग,
नई दिल्ली।

7. श्री के० सुब्रह्मण्यम्,
प्रबन्ध निदेशक,
निजाम चीनी फैक्टरी,
हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)।

8. श्री जे० सी० जेतली,
अपर सचिव,
कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय,
ग्रामीण विकास विभाग,
नई दिल्ली।

9. श्री जी० एस० बैलूर,
सरकार के सचिव तथा वित्तीय आयुक्त,
वन और वन्य जीवन संरक्षण विभा०,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

10. डा० पी० वेंकटेशन,
संयुक्त सचिव (विस्तार),
कृषि और ग्रामीण विकास,
कृषि और सहकारिता विभाग,
नई दिल्ली।

सचिव

श्री शिव राज सिंह,
संयुक्त सचिव,
कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय,
ग्रामीण विकास विभाग,
नई दिल्ली ।

समिति, यदि आवश्यक समझे, तो उप समितियां गठित कर सकती है और सदस्य सहयोजित कर सकती है ।

विचारार्थ विषय :

(1) वर्तमान संगठनात्मक व्यवस्था और चल रहे ग्रामीण विकास और गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों की समीक्षा करना और विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत सेवाओं की समन्वित व्यवस्था में संगठनात्मक अतिव्याप्तता तथा कठिनाइयों का पता लगाना ;

(2) जिला स्तर और इससे नीचे के स्तर पर ऐसी उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था का सुझाव देना जिससे इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और विकेन्द्रित योजना के लिए एकीकृत संगठनात्मक ढांचे की व्यवस्था की जा सके ;

(3) पंचायती राज निकायों की भूमिका और प्रस्तावित प्रशासनिक व्यवस्था में उनके संबंधों का अध्ययन करना और इस संबंध में उपयुक्त सिफारिशें करना ;

(4) ग्रामीण विकास के लिए एक पूर्ण सेवा–व्यवस्था के अंग के रूप में स्वैच्छिक संगठनों, सहकारी और वित्तीय संस्थाओं जैसे अन्य अभिकरणों और प्रस्तावित संबंध तथा प्रभावी संपर्क के विषय में जांच करना ; और

(5) ऐसे सुझाव देना जिनमें लक्षित समूहों के सदस्यों की प्रभावी भागीदारी तथा उनमें संगठनात्मक व्यवस्था के बीच उपयुक्त संबंध भली प्रकार सुनिश्चित किए जा सके ।

पूर्ण समिति अथवा खंड समिति नई दिल्ली में या अन्य स्थान पर अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार जितनी बैठकें करना चाहे कर सकती हैं ।

अधिकारी यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, यदि कोई हो तो, अपने संबंद्ध विभागों/संगठनों से लेंगे । गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते पर व्यय योजना आयोग वहन करेगा । ये भत्ते उन्हें भारत सरकार के ग्रेड–I के अधिकारियों के लिए लागू नियमों और विनियमों के अनुसार दिए जाएंगे ।

समिति अपने संगठन की तारीख से 3 महीनों के भीतर अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति संबंधित सभी को भेजी जाए और इसे सामान्य सूचना के लिए सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

के० सी० अग्रवाल, निदेशक
(प्रशासन)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल, 1985

संकल्प

सं० हिन्दी/समिति/83/38/5—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के दिनांक 31–12–83 और 11–1–84 के समसंख्यक संकल्पों का अतिक्रमण करते हुए रेल मंत्रालय के अधीन गठित रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति में मनोनीत संसद सदस्य सर्वश्री (1) भुवनेश चतुर्वेदी, सदस्य (राज्य सभा), (2) टी० बशीर, सदस्य (राज्य सभा), (3) आचार्य भगवान देव, सदस्य (लोक सभा) और (4) टी० एम० सावंत, सदस्य (लोक सभा) के स्थान पर एतद्द्वारा निम्नलिखित को रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति का सदस्य नामित किया जाता है :—

1. श्री टी० बशीर,
सदस्य (लोक सभा)
34, साउथ एवेन्यू,
नई दिल्ली ।

2. श्रीमती जयन्ती पटनायक,
सदस्य (लोक सभा),
उड़ीसा भवन, नई दिल्ली ।

3. श्री शिवकुमार मिश्र,
सदस्य (राज्य सभा),
13–बी, फिरोजशाह रोड़,
नई दिल्ली ।

4. श्री सुरेश पचौरी,
सदस्य (राज्य सभा),
202, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली ।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक–एक प्रति प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

अमरनाथ वांचू,
सचिव, रेलवे बोर्ड,
तथा पदेन संयुक्त सचिव

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 25th March 1985

RESOLUTION

No. M. 13043/5/83-RD-AS.—The Government have been pursuing a number of Sectoral and Special Programmes since the Fourth Five Year Plan for the Development of Agriculture, Industries and Services, and for the reduction of unemployment and poverty by creating large scale self-employment and wage employment opportunities for the weaker sections of the society, in the rural areas. It has been felt that with the launching of a large number of Programmes, both through the normal sectoral Plans and others specially designed to cater to target group households, a multiplicity of organisational mechanisms has grown up, resulting in duplication of management efforts and suboptimal use of resources.

Rural Development as an integrated concept for growth and poverty alleviation would continue to be one of the principal areas of emphasis in the Seventh Plan. The effective implementation of an integrated approach would call for better planning at the district level, closer monitoring and a tighter organisational set up to ensure optimum use of resources, and reaching the benefits to those for whome they are meant.

The Planning Commission have, therefore, decided to set up a high level Committee to review the existing administrative arrangements for Rural Development and Poverty Alleviation Programmes, and to recommend appropriate structural mechanisms to ensure that they are planned in an integrated manner and effectively implemented. The composition and terms of reference of the Committee are set out below :

COMPOSITION :

Chairman

Dr. G. V. K. Rao, Ex-Member,
Planning Commission,
252, 15th Main Road,
Rajmahal Vilas Extension,
Bangalore-560 080 (Karnataka)

Members

1. Dr. P. C. Joshi,
Professor,
Institute of Economic Growth,
New Delhi-110007.

2. Dr. B. D. Sharma
Vice Chancellor,
North-Eastern Hill
University,
Shillong (Meghalaya)

3. Prof. G. Rama Reddy,
Vice Chancellor,
Andhra Pradesh Open University,
6-3-645, Somajiguda,
Hyderabad (Andhra Pradesh).

4. Dr. Asim Dasgupta,
Member, State Planning Board,
West Bengal, Calcutta.
West Bengal.

5. Shri Anil C. Shah,
Chief Executive,
Aga Khan Rural Support
Programme (India)
Ahmedabad (Gujarat).

6. Adviser, Rural Development,
Planning Commission,
New Delhi.

7. Shri K. Subramaniam,
Managing Director,
Nizam Sugar Factory,
Hyderabad (Andhra Pradesh).

8. Shri J. C. Jetli, Addl. Secy.
Ministry of Agriculture and
Rural Development,
Deptt. of Rural Development,
New Delhi.

9. Shri G. L. Bailur,
Financial Commissioner and
Secretary to Government,
Forests and Wild Life
Preservation Departments,
Haryana, Chandigarh.

10. Dr. V. Venkatesan,
Joint Secretary (Extension,)
Ministry of Agriculture and
Rural Development,
Department of Agriculture
and Cooperation,
New Delhi.

Secretary

Shri Shiv Raj Singh
Joint Secretary,
Ministry of Agriculture &
Rural Development Department
of Rural Development,
New Delhi.

The Committee may, if necessary, constitute Sub-Groups and co-opt Members.

TERMS OF REFERENCE :

(1) To review the existing organisational set up, and on going Rural Development and Poverty Alleviation Programmes, and identify structural overlaps and constraints in the integrated delivery of services under different Programmes;

(2) to suggest an appropriate administrative set up at the district level and below, which could provide an integrated framework for decentralised planning an implementation of these Programmes;

(3) to study the role of Panchayati Raj Bodies and their relationship with the proposed administrative set up, and to make appropriate recommendation in this regard;

(4) to examine and make recommendations with regard to the relationship and working linkages between the proposed organisational set up and other agencies such as voluntary organisations, cooperatives and financial institutions, as part of a total delivery mechanism for Rural Development; and

(5) to suggest arrangements that would best ensure an effective participatory role for members of the target groups and an appropriate relationship between them and the organisational set up.

The Committee as a whole, or in part, may meet, as often as may be decided by the Chairman, in New Delhi or in other places.

The officers will draw TA/DA, if any, from their respective departments/organisations. Expenditure in connection with non-official members will be borne by the Planning Commission, according to rules and regulations of TA/DA as applicable to grade I officers of Government of India.

The Committee will submit its final report within 3 months from the date of its constitution.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution may be communicated to all concerned and that it may be published in the Gazette of India for general information.

K. C. AGARWAL
Director (Administration)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 1st April 1985

RESOLUTION

No. Hindi/Samiti/83/38/5.—In supersession of Ministry of Railways' (Railway Board's) resolution of even number dated 31-12-83 and 11-1-84, it has been decided that in place of S/Shri (1) Bhuvnesh Chaturvedi, M. P. (Rajya Sabha), (2) T. Basheer, M. P. (Rajya Sabha), (3) Acharya Bhagwan Dev, M. P. (Lok Sabha) and (4) T. M. Sawant, M. P. (Lok Sabha), following Members of Parliament be nominated as members of Railway Hindi Salahkar Samiti constituted under the Ministry of Railways :—

1. Sh. T. Basheer, M. P. (Lok Sabha), 34 South Avenue, New Delhi.
2. Smt. Jayanti Patnaik, M. P. (Lok Sabha), Orissa Bhawan, New Delhi.
3. Sh. Sheo Kumar Mishra, M. P. (Rajya Sabha), 13-B, Ferozeshah Road, New Delhi.
4. Sh. Suresh Pachori, M. P. (Rajya Sabha), 202, South Avenue, New Delhi.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha and Rajya Sabha Sectts. and Ministries and Department of Government of India.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. N. WANCHOO
Secretary, Railway Board &
ex-officio Joint Secretary

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1985